11/3/24 पत्रावली आज पेश हुई दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रतिवादी बहस हेतु समय चाहते है जिन्हें समय दिया जाता है। पत्रावली दि० 21/3/24 को पेश होवे।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुडामालानी

21/3/24 पत्रावली आज पेश हुई दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 6/5/24 को पेश होवे।

(हरीश चौधरी)

6/5/24 पत्रावली आज पेश हुई दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। आदेश नहीं लिखा गया। पत्रावली वास्ते [illegible] बहस दि० 16/5/24 को पेश हो।

16/5/24 पत्रावली पेश हुई।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 23/5/24 को पेश हो।

23/5/24 पत्रावली पेश हुई।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
मे व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 01/7/24 को पेश हो।

01/7/24 पत्रावली आज पेश हुई वकुमान पक्षकारान उपस्थित। पुनः बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12/8/24 को पेश हो।

12/8/24 पत्रावली आज पेश हुई वकुमान पक्षकारान उपस्थित। आदेश [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली निर्णय [illegible] [illegible] दाखिल दफ्तर [illegible]

सहायक कलक्टर गुडामालानी
(पीठासीन अधिकारी)
वाद संख्या:– 2022/422

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:39:05 IST
Reason: SelfAttested

लेहरोदेवी बनाम गिरधारी
2022 / 422
निर्णय दिनांकः–12.08.2024

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2022 / 422

दर्ज तिथिः–28.12.2022

1. लेहरोदेवी पत्नी मांगाराम
कौम गुरूडा साकिन लूणवा जागीर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

......................वादीनी

बनाम

1. गिरधारी पुत्र हमीरा
2. वाला पुत्र अणदा
3. सवा पुत्र अणदा
कौम मेघवाल साकिन लूणवा जागीर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

................असल प्रतिवादीगण

4. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी

.........................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री हरीश चौधरी
प्रतिवादीगणः– श्री प्रागाराम बोगराज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

–ःनिर्णयः–

निर्णय तिथिः– 12.08.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुआ है। प्रकरण का संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार से है

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:39:05 IST
Reason: SelfAttested

Signature Valid
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.0[illegible]:47:57 IST
Reason: SelfAttested

कि वादीनी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 442 रकबा 1.2545 हैक्टेयर वाके लूणवा जागीर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीनी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीनी का 7/31 हिस्सा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीनी की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादीनी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुरेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विधिवत तामील अनुस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से एकतरफा कार्यवाही मन्सुख कर जबाव पेश करने का अवसर दिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र जिस पर वकील वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 1[illegible]:05 IST
Reason: SelfAttested
Signature valid
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.0[illegible]:47:57 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा सहमति दी गई। प्रकरण में वादी की तरफ से साक्ष्य प्राप्त की जाकर सहमति से प्रकरण में दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुढामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुढामालानी द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2023/724 दिनांक 19.04.2023 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की। उभय पक्षकारान द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत तकासमा रिपोर्ट पर आपत्ति जाहिर कर निवेदन किया कि विवादित आराजी में असल प्रतिवादीगण का मुताबिक रिकॉर्ड हिस्सा खसरा नंबर 443 की तरफ देने के बजाय खसरा नंबर 442/1 की तरफ देते हुए तकासमा कर दिया जाता है तो असल प्रतिवादीगण को उज्र एतराज नहीं होगा। साथ ही दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा नजरी नक्शा परिशिष्ठ–'अ' प्रस्तुत कर माफिक नजरी नक्शा वादीनी व प्रतिवादीगण तकासमा किये जाने की सहमति दी। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं पत्रावाली पर दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की अंतिम बहस सुनी गई।

3. प्रकरण में दोनों पक्षों के अभिभाषकगण द्वारा आपसी सहमति से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट (परिशिष्ठ–'अ') पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2074–2077 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादी एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 442 रकबा 1. 2545 हैक्टेयर वाके लूणवा जागीर तहसील गुडामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी का 7/31 हिस्सा तथा शेष हिस्सा असल प्रतिवादीगण का दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त [illegible] आराजीयात अविभाजित है

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:39:05 IST
Reason: SelfAttested

Signature Valid
Digitally signed by [illegible]hav Kumar Meena
Date: 2024.0[illegible]:47:57 IST
Reason: SelfAt[illegible]ed

एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जाः– प्रकरण के बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह–काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है ऐसी अन्य व्यक्ति का खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:..:05 IST
Reason: SelfAttested

Signature valid
Digitally signed by ...av Kumar Meena
Date: 2024.0..13 ..:47:57 IST
Reason: SelfAt...ed

की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीनी अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:39:06 IST
Reason: SelfAttested

Signature Valid
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.0[illegible] :47:57 IST
Reason: SelfAttested

442 रकबा 1.2545 हैक्टेयर वाके लूणवा जागीर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस (माफिक राजीनामा परिशिठ–'अ') नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीनी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
लेहरोदेवी पत्नी मांगाराम कौम गुरूडा सा. देह खातेदार रहन–RMGB गुडामालानी	पूर्ण	442	0.2833 हैक्टेयर	बा.सो.
किता 01 रकबा 0.2833 हैक्टेयर				
गिरधारी वल्द हमीरा कौम मेगवाल सा. देह खातेदार रहन–SBBJ गुडामालानी	263/607	442	0.9712	बा.सो.
वाला सवा पि0 अणदा कौम मेगवाल सा. देह खातेदार रहन–SBBJ गुडामालानी	344/607			
किता 01 रकबा 0.9712 हैक्टेयर				

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:[illegible]:05 IST
Reason: SelfAttested

Signature valid
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.0[illegible].13 [illegible]:47:57 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीनी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता की आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

उभयपक्षकारान का आपसी राजीनामा तथा राजीनामे के साथ प्रस्तुत नक्शा—परिशिष्ठ—अ निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी गुढ़ामालानी
सत्यमेव जयते

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:39:05 IST
Reason: SelfAttested

Signature Valid
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.0[illegible] 1[illegible]:47:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2022/422

दर्ज तिथिः–28.12.2022

1. लेहरोदेवी पत्नी मांगाराम
   कौम गुरूडा साकिन लूणवा जागीर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

....................वादीनी

बनाम

1. गिरधारी पुत्र हमीरा
2. वाला पुत्र अणदा
3. सवा पुत्र अणदा
   कौम मेघवाल साकिन लूणवा जागीर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

................असल प्रतिवादीगण

4. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी

........................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ताः– श्री हरीश चौधरी
प्रतिवादीगण :– श्री प्रागाराम बोगराज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

निर्णय तिथिः– 12.08.2024

दावा वादीनी अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:39:05 IST
Reason: SelfAttested

Signature valid
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.0_ _3 _:47:57 IST
Reason: SelfAttested

तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नंबर 442 रकबा 1.2545 हैक्टेयर वाके लूणवा जागीर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस (माफिक राजीनामा परिशिठ—'अ') नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीनी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
लेहरोदेवी पत्नी मांगाराम कौम गुरूडा सा. देह खातेदार रहन—RMGB गुडामालानी	पूर्ण	442	0.2833 हैक्टेयर	बा.सो.
कित्ता 01 रकबा 0.2833 हैक्टेयर				
गिरधारी वल्द हमीरा कौम मेगवाल सा. देह खातेदार रहन—SBBJ गुडामालानी	263/607	442	0.9712	बा.सो.
वाला सवा पि0 अणदा कौम मेगवाल सा. देह खातेदार रहन—SBBJ गुडामालानी	344/607			
कित्ता 01 रकबा 0.9712 हैक्टेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीनी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता की आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 1[illegible]:05 IST
Reason: SelfAttested

Signature valid

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.0[illegible]:47:57 IST
Reason: SelfAttested